प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 राहत शिविर

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राज0)

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| मांगु पुत्र हुक्मा जाति जाट सा. कसारी तहसील कुचामनसिटी | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |

राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्वि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 294 /2023 GCMS No. 2023/ 492

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.10.2023 | वादी/प्रार्थी मांगु पुत्र हुक्मा जाति जाट सा. कसारी द्वारा "प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 "राहत शिविर" के तहत प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 ग्राम **कसारी** पटवार मण्डल **नारायणपुरा** तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर **93** प्रस्तुत कर कथन किया है। वादी/प्रार्थी का नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि **मांगु पुत्र हुक्मा जाति मेघवंशी सा. देह अन्य सहखातेदारान के साथ** दर्ज हैं, जो अशुद्व है।<br>प्रार्थी का शुद्व नाम **मांगु पुत्र हुक्मा जाति जाट सा. देह खातेदार है तथा** इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार कार्ड, मिलान क्षेत्रफल की छाया प्रति, नकल खतौनी सम्वत 2034–2037 खसरा नम्बर 76 ग्राम कसारी की प्रस्तुत की है।<br>इस संबंध में हल्का पटवारी **नारायणपुरा** भू.अ.नि **मण्डावरा** एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार विधिवत सुनवाई कर नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है।<br>प्रकरण का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड में अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। जिससे उसका नाम शुद्व किया जा सके तथा उक्त अशुद्वि कब हुई, उस राजस्व रेकार्ड की सम्पूर्ण नकले इत्यादि भी वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है, वादी/प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर एवं आवश्यक दस्तावेजात इत्यादि की नकले प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः वाद पत्र/प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Manoj<br>Date: 2023.11.03 13:11:49 IST<br>Reason: SelfAttested<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी (नागौर) | |